लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Admn/90/19/1028 **दिनांक :** 17.01.2020

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
औरंगाबाद, भोजपुर एवं पूर्वी चम्पारण ।

विषय : **पंचायती राज प्रतिनिधियों का "सुजल एवं स्वच्छ गाँव" विषय पर जिला स्तरीय तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण के संबंध में ।**

प्रसंग: **MoDWS No. S-14011/1/2019-SBM Dated 09.07.2019 & No.S-18011/24/2015-SBM Dated 15.04.2019.**

महाशय,

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीण आबादी को सुरक्षित एवं स्थायी जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करके गांवों को "सुजल एवं स्वच्छ गाँव" में रूपांतरित करने की परिकल्पना की है । विदित है कि बिहार राज्य खुले में शौच से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है और अब कार्यक्रम के अगले चरण के अंतर्गत ओडीएफ प्लस फेज (खुले में शौचमुक्त स्थिति प्लस फेज) की शुरुआत की जा रही है । इस चरण में घरेलु पाईप लाइन कनेक्शन के माध्यम से सभी के लिए साफ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति का प्रावधान करने, ओडीएफ को स्थायित्व प्रदान करने एवं ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्था को प्रमुख इकाई के रूप में चिन्हित किया गया है । इस हेतु ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के मुखिया एवं सरकारी कर्मी के रूप में पंचायत सचिव का क्षमता वर्द्धन के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है ताकि ग्राम पंचायत के नेतृत्व में लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके ।

इस दिशा में जिलों द्वारा चयनित कर्मियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि संबंधित मास्टर प्रशिक्षकों को ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया एवं ग्राम पंचायत सचिव को) का उन्मुखीकरण किया जा सके ।

तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नलिखित आयोजन किया जाना है :

- प्रशिक्षण आयोजन के लिए उपखण्ड या प्रखंड स्तर पर एक उपयुक्त स्थल का चुनाव ।
- प्रशिक्षण स्थल पर 60 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण, आवासन, भोजन एवं शौचालय की उपयुक्त व्यवस्था ।

- प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भ्रमण हेतु निकटवर्ती गाँव का चयन (जहाँ हर घर में शौचालय, हर घर नल का जल, पक्की नाली, गली योजना का सफल क्रियान्वयन किया या हो) ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी / उप विकास आयुक्त / निदेशक (DRDA) द्वारा जिला समन्वयक/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक की उपस्थिति में किया जाना है ।

उक्त प्रशिक्षण के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री एवं अन्य के लिए निम्नांकित अधिकतम दर निर्धारित की जाती है :-

क्रम संख्या	सामग्री	इकाई	अनुमानित अधिकतम इकाई मूल्य	दिन	अनुमानित अधिकतम व्यय
1	प्रशिक्षु किट (डायरी, पेन एवं बिना प्लास्टिक के फोल्डर)	50	100	-	5000
2	आवासन + भोजन (नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का भोजन, दो बार चाय)	50	500 (Per participant)	3	75000
4	प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम	1	1500	3	4500
5	बैनर	2	200		400
6	प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रिंटिग एंव संसाधन सामग्री	50	243 (Per Book)		12150
7	प्रशिक्षण सामग्री (Chart Paper, Folder, Sketch pens, tapes etc and formats for every participant	संलग्न सूची के अनुसार (आवश्यकतानुसार)			10,000
8	मिसेलेनिअस	-			5,000
कुल राशि (रुपया में एक लाख बारह हजार पचास)					**112,050/-**

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय एवं स्टॉक संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाले वास्तविक व्यय का सामंजन SBM (G) - CB मद से नियमानुसार आयोजक प्रखण्ड द्वारा किया जायेगा । प्रशिक्षण के क्रम में होनेवाले व्यय, प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित उपस्थिति एवं आवश्यक प्रतिवेदन प्रखण्ड कार्यालय में अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा तथा इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय को समर्पित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु कार्यक्रम से संबंधित विवरणी एवं अन्य की ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा रहा है ।जिला स्तर पर प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जिला सलाहकार-CB & HR या जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा मनोनित पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित होंगे एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण दिनांक 27 जनवरी 2020 से 10 फरवरी 2020 तक होगी।

अत: अनुरोध है कि प्रशिक्षण संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ (यथा- प्रशिक्षण स्थल का चयन, प्रशिक्षण संबंधी सामग्रियों - स्टेशनरी एवं बुक आदि) प्रशिक्षण के आयोजन के पूर्व अर्थात् दिनांक 25 जनवरी, 2020 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय एवं इस संबंध में राज्य कार्यालय को भी संसूचित करने का कष्ट करेंगे ।

अनुलग्नक :

- सेसन प्लान (Training schedule) के लिए अनुलग्लक 1 संलग्न ।
- बेहतर प्रशिक्षण संचालन हेतु जरुरी व्यवस्था के लिए अनुलग्नक 2 संलग्न ।
- प्रशिक्षण के लिए काम आने वाले जरुरी संसाधन के लिए अनुलग्लक 3 संलग्न ।

विश्वासभाजन

17/01/2020

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Admn/90/19/1028 **दिनांक :** 17.01.2020

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, औरंगाबाद, भोजपुर एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, औरंगाबाद, भोजपुर एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, औरंगाबाद, भोजपुर एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/2020

(राजीव कुमार सिंह)

ANNEXURE 1

प्रशिक्षण की समयसारणी

सत्र सं .	समयावधि	सत्र शीर्षक
		दिन1
1.1	सुबह से 10.00 10.45	वातावरण निर्माण
1.2	सुबह से 11.00 12.00	जल एवं स्वच्छता सेवा वितरण का महत्व
1.3	दोपहर से 12.00 01.00	निरंतर जलापूर्ति के लिए केन्द्र सरकार का नया पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम
1.4	दोपहर से 02.00 02.45	गांव में पेयजल की उपलब्धता तथा मांग
1.5	दोपहर से 02.45 03.45	वर्षाजल संग्रहण की विभिन्न पद्धतियों के उपयोग से भूजल स्त्रोतों का सुदृढ़ीकरण
1.6	शाम 05.00 से 04.00	जलापूर्ति योजना का संचालन और रखरखाव
1.7	शाम 06.00 से 05.00	जलगुणवत्ता प्रबंधन - जगुप्र)WQM के मूलतत्व (
		दिन2
2.1	सुबह 10.30 से 09.30	ओडीएफएस सुरक्षित शौचालय तकनीकें तथा तकनीकी विपथन-, पुन : संयोजन हस्तक्षेप और स्वच्छता सुविधाओं का संचालन तथा रखरखाव
2.2	सुबह10.45 से 12.00	ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिती और संचालन योजना
2.3	दोपहर से 12.00 01.00	अपशिष्ट जलप्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन
2.4	दोपहर से 02.00 02.45	जल तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था
2.5	दोपहर से 02.45 03.45	सुजल एवं स्वच्छ गांव के लिए जानकारी, शिक्षा और संसूचन (आईइसी)
2.6	शाम 04.45 से 04.00	एप का परिचय
2.7	शाम 05.30 से 04.45	क्षेत्रभेंट का नियोजन
		दिन3
3.1	सुबह 09.00से 01.00	वाश) WASHके अंतर्गत अच्छे उपक्रम देखने हेतु उन्हें चलानेवाले (नजदीकी स्थान की भेंट
3.2	दोपहर से 02.00 02.45	क्षेत्रभेंट में सीखी हुए बातें साझा करना
3.3	दोपहर से 02.45 03.30	सुजल एवं स्वच्छ गांव के लिए समुदाय चलित कृति नियोजन प्रक्रिया
3.4	दोपहर से 03.45 04.30	कृति नियोजन एवं प्रस्तुतिकरण
3.5	शाम 05.00 से 04.30	प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं विदाई

ANNEXURE 2

LOGISTIC ARRANGEMENT FOR SUJAL AND SWACHH GAON TRAINING

1. **Training Venue/Hall**
    - Hall should have a comfortable seating arrangement for no of participants Seating arrangement should be in cluster form, round table, movable
    - Hall should have an additional 20* 10 feet open space for activities, role play and energizers
2. **Electronic aids**
    a) Laptop
    - With windows 10 or equivalent compatible operating system
    - Windows and VLC media player
    - Updated Anti-Virus software
    - With no inappropriate contents/file (videos/pics)

    b) Audio System
    - With 10+ feet audio jack cord
    - 2 cordless mics, 1 lapel/Collar Mike

    c) LCD Projector with screen

    d) Slide Changer with pointer

    e) An extension boards

    f) Speaker
3. **Drinking Water**
4. **Support Person (One Technical and one non-technical)**
5. **Necessary Requirements**
    a) Resource material (112 pages+ Cover) will be provided to Mukhayas and Panchayat Secretary (Sample and softcopy is provided to Master trainers during State level training)

    b) Pre- Training questionnaire, Post training questionnaire and feedback format for every participant. All formats required during training will be provided to concerned districts through email.

    c) Group photography of every batch should be done

    d) Attendance sheet for maintaining records

    e) A report should be prepared and submitted by Nodal person- District to the State after completion of training.

ANNEXURE 3

Training material requirement

Please find below the list of material required for 3 days Sujal & Swachh Gaon ToT for one batch

Particulars	Details	Numbers/ remarks
At Training Venue	Round tables and chairs in form of cluster seating arrangement.	As per number of participants
For Inauguration	Lamp, Candle, match box and Karpur (Camphor) Bouquet - (As per no. of dignitaries)	On 1st day - before inauguration, as per state protocol
Printing of documents	**<u>Resource material for 3 Day ToT</u>**	
	FTs Resource Material - 3 Day	Number of participants + 10
	<u>Documents required for facilitation of 3 Day ToT</u>	
	Training Schedule	Number of participants + 10
	Pre Training Questionnaire	As per number of participants
	District Action Plan Format	4 + (As per number of districts X 2)
	Handout for Community led Planning Process	As per number of participants
	Post Training Questionnaire	As per number of participants
	Feedback form	As per number of participants
	<u>Material for PRI trainings to be conducted by FTs</u>	
	3 Day Resource Material (Sarpanch and Gram Panchayat Handbook) **<u>(As per state requirement print Hindi or English or local language if translated by the State)</u>**	Number of participants + 10
Training aids for training facilitation	Pens	Number of participants + 10
	Folders /Bags	Number of participants + 10
	Note pads	Number of participants + 10
	Light color chart papers (white, blue, pink, yellow)	40 No. (10 each colour)
	White Board Clips (Big size)	4 No.
	White papers A4 size	50 Pages
	Sketch pens	5 sets
	Permanent board markers (Black, Red, Blue, green)	06 No. (3 each Color)
	White board markers (Black, Red, Blue, green)	2 each
	Both side tape	1 (Large Size)
	Masking Tape	1 (Large Size)

Particulars	Details	Numbers/ remarks
Requirements for Field visit	Rangoli / Color Powder (White)	4 kg (2 Bags) for each batch
	Rangoli / Color Powder (Blue, Green, Pink, Orange, Red, etc.)	Total 5 kg. (1 kg of each color in) of & each color 2 Bags for each batch
	Scales (Ruler)	6 No.
	Pencils	6 No.
	Erasers	6 No.
	Nylon rope for displaying card sheets	25mtr Length
	Chalks box	2 Box (white and colored)
	Hanging clips	3 Dozen
	Big cloth bags for carrying PRA material	2 No.
	Small Cloth bags for carrying PRA material	10 No.
	White papers A4 size	30 Pages
	Sketch pens	6 Packets
	Both side tape	1 (Large Size)
	Light color chart papers (white, blue, pink, yellow)	20 No. (10 each color)
	Permanent board markers (Black/Brown/Blue)	12 No. (4 each Color)
Please ensure these items are available at training venue	3 Day Training Banner (Sujal & Swachh Gaon)	1
	White boards with stand	2
	Duster	1
	Multi pin extension board	1
	Microphone with stand, cordless and collar mike	1 each
	Laptop with speaker	1
	LCD projector with screen	1
	Slide changer with pointer	1
Material for Demonstration	Buckets	2
	White cotton cloth	1
	Wooden stick(2-2.5 Feet)	1
	Residual chlorine test kit / OT Kit	1
	Bleaching - TCL powder/Liquid	100 grams/ML
	H_2S vial	5 No.